

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

षष्ठ मण्डल, लखनऊ / सदस्य सचिव

सेवा मे,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,

शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,

प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्र संख्या-नि0-2/एन0ओसी0/ 16(97-203) /2023-24 दिनांक 27 सितम्बर, 2023
 विषय- SMRITI PUBLIC SCHOOL, BHOJHWA MATHIYA, BHIRA, LAKHIMPUR KHERI
 को सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति
 प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि शासनादेश संख्या 2144 / 15-7-2020-1(34) / 2020 दिनांक 07.01.2021 द्वारा सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0ई0 से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किये जाने सम्बन्धी दिये गये निर्देशों के अनुपालन में SMRITI PUBLIC SCHOOL, BHOJHWA MATHIYA, BHIRA, LAKHIMPUR KHERI द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन तथा शासनादेश संख्या-1916 / 15 - 7 - 09 - 1 (299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, (आई0सी0एस0ई0) नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 22.09.2023 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार SMRITI PUBLIC SCHOOL, BHOJHWA MATHIYA, BHIRA, LAKHIMPUR KHERI को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मौग नहीं की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा-विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. शासन/विभाग/ प्रशासन द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश/निर्देश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

Anil-

MANAGER
 Smriti Public School
 Near Sai Dham Bojhwa
 Bhira-Palia Road
 Lakhimpur-Kheri (U.P.)

८१

-2

PRINCIPAL
 SMRITI PUBLIC SCHOOL
 Palia Road, Bojhwa-Bhira
 Lakhimpur-Kheri (UP)

8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।
9. जनहित याचिका संख्या-483/2004 अवृत्ति ग्रहण विभाग और इण्डिया व अन्य प्रे-पारित माझे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा कौसिंल फार दि इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आई०री०एस०ई०) नई दिल्ली/सेप्टेम्बर बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली रो साम्बद्धता प्राप्त होने के बारे यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का गवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रानियानित संस्था मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा रटार अग्निशमन उपायों हेतु भलीभौति प्रशिक्षित है।
10. विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को हटाये जाने/पदमुक्त करने की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जायेगी तथा उनके स्थान पर उसी शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के व्यक्ति को ही नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
11. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना सर्वथा के लिए अनिवार्य होगा। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा। भविष्य में यदि प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत किसी तथ्य/अभिलेख/प्रस्ताव में किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो यह अनापत्ति स्वतः शून्य समझी जायेगी।

भवदीप

27/04/2023
डॉ० (प्रदीप कुमार)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

पृष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य संघिव

पृ०स०-नि०-२/एन०ओ०सी०/ (०१९७-२०३

/2023-24 दिनांक उक्तावत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ खीरी।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ खीरी।
5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
6. प्रबन्धक, SMRITI PUBLIC SCHOOL, BOJHWA MATHYA, BHIRA, LAKHIMPUR KHERI.
7. गाड़ फाइल

Amit

MANAGER
Smriti Public School
Near Sai Dham Bojhwa
Bhira-Palia Road
Lakhimpur-Kheri (U.P.)

27/04/2023
डॉ० (प्रदीप कुमार)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

पृष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य संघिव

PRINCIPAL
SMRITI PUBLIC SCHOOL
Palia Road, Bojhwa-Bhira
Lakhimpur-Kheri (U.P.)